सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:- 129/प्रा0पत्र/2024

दायरा दिनांक :-11.07.2024

GCMS ID-2024/205

उनवान

1. सुखा आ0 स्व0 धूला जाति गुर्जर निवासी टरकडियॉ, टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. चकली पुत्र कंवरा जाति गुर्जर निवासी टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रियासत अली आ0 अब्दुल वहीद जाति दुल्हा-मुस0 निवासी हिण्डोली।,
3. यादराम आ0 बक्तावरा जाति गुर्जर निवासी टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामपाल आ0 बक्तावरा जाति गुर्जर निवासी टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लटूरी बाई पुत्री खानी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. कल्ली पुत्री खानी जाति गुर्जर निवासी डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. उछबा पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. उदा पुत्री जुवारा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. कान्हा आ0 कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. छीतर आ0 प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. नेतराम आ0 जुवारा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
12. नाना पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
13. नोसर पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
14. महावीर आ0 जुवारा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
15. लादू पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
16. सुखदेव आ0 हरनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
17. उर्मिला पुत्री श्री देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
18. काली बाई पत्नी स्व0 देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
19. मंजू पुत्री देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
20. मनभर पुत्री देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
21. श्योराम आ0 देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
22. सीताराम आ0 देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
23. कांता बाई पत्नी स्व0 कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
24. भंवरलाल आ0 कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
25. जगरूप आ0 उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
26. फौरू आ0 हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
27. मोर बाई पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
28. रामकिशन आ0 हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
29. सोना बाई आ0 हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
30. घांसी आ0 भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
31. फोरू आ0 छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
32. देवलाल आ0 छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
33. श्योजी आ0 छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
34. लाडबाई पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
35. नोज्या पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

36. भुवाना आ0 जुवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
37. करसू आ0 जुवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम टरकडियां तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
38. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक :–12.09.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 52 के खसरा संख्या 374/303 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर, वाके ग्राम टरकडियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी है। जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां प्रार्थी की भूमि के समीप है। जिनमें अप्रार्थी रियासत अली के खसरा संख्या 303 रकबा 0.4047 है0 एवं अप्रार्थी घांसी, फौरू, देवलाल, श्योजी, भुवाना, करसू, लोप्या बाई की खातेदारी की कृषि भूमियां 269, 271, वाके ग्राम टरकडियां है। इसी प्रकार भूमि खसरा संख्या 222, 228, 234, 267, 286, 287/366 की खातेदार जमाबंदी खाता संख्या 55 के अनुसार अप्रार्थी चकली एवं देवीलाल, सुखपाल, सीता, हीरालाल, एवं हीरा व रियासत अली अंकित है। जिसमें प्रार्थी की जानकारी के मुताबिक देवीलाल, सुखलाल, सीता, गीता, हीरा व हीरालाल लाऔलाद फौत हो चुके है एवं खाता संख्या 43 कृषि भूमियों 231, 232, 287 के खातेदार अप्रार्थी यादराम, रामपाल व लटूर व कल्ली है एवं खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 176, 235, 250, 251, 252, 253, 273, 284, 285, 288 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 16 खातेदार अंकित है एवं खाता संख्या 22 खसरा संख्या 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 व 302 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 29 खातेदार कृषक अंकित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो और सभी प्रतिवादीगण की कृषि भूमियां है। प्रार्थी की असहाय अवस्था का लाभ उठाकर धीरे–धीरे प्रार्थी की भूमि की सीमा को दबाने लगे। प्रार्थी ने आपत्ति की तो प्रार्थी ने कई बार, पटवारी हल्का से सीमाएँ बता दी लेकिन अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का द्वारा बतायी गयी सीमा की भी परवाह नहीं की बल्कि सभी ने कहा कि जमीन हमारी है, दुबारा नाप करवा लो, सीमा चिन्ह कायम करवा लो, इस पर प्रार्थी ने सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया तो जिसमें प्रार्थी की 0.10 है, भूमि को छोडकर शेष भूमि पटवारी की रिपोर्ट 05.06.2024 के मुताबिक सभी अप्रार्थीगण ने कब्जे में कर ली है और इस कारण सीमाचिन्ह भी कायम नहीं हो सके। प्रार्थी एक कमजोर व अकेला व्यक्ति है इसलिए अपनी भूमि की पत्थरगढी करवा कर उसमें उपज करके अपना जीवन यापन करना चाहता है जिसमें सभी अप्रार्थीगण कब्जे काश्त में बाधा डालते है व मारने की धमकी देते है इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवार कर सीमाबंदी के विवाद को समाप्त करना चाहता है। अप्रार्थीगण द्वारा कई बार पटवारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हल्का द्वारा बतायी बयी सीमाओं को नष्ट करके पूरी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अपनी भूमि की पत्थरगढी करवा कर अपनी सीमा में पत्थर गढवाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थी ने अंतिम बार 07.06.2024 को सहमति से भूमि पर पत्थरगढी करवाने के लिए अप्रार्थीगण से कहा कि लेकिन अप्रार्थीगण तैयार नहीं हुए इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि अपने खाते की भूमि पर पत्थरगढी करवा कर अप्रार्थीगण व पुलिस की मौजूदगी में अपनी भूमि की सीमा में पत्थरगढी करवावे। भूमि ग्राम टरकडियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, अतः श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 38 द्वारा पत्थरगढी का कार्य सम्पन्न कराया जाना है इसलिए उसे अप्रार्थी संख्या 38 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदार की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में है वाके ग्राम टरकडियां पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की अप्रार्थीगण एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भूमि की पैमाईश करवा कर पत्थरगढी करवा कर प्रार्थी की सीमा पर पत्थर गडवाने की आज्ञा प्रदान करे। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 01 लगायत 38 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 29.08.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। बहस वकील प्रार्थी मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम टरकडियां पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 52 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 52 के खसरा सं0 374/303 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम टरकडियां प0म0 टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहर्रीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)